<u>मिट्टी तेल आवंटन</u>

<u>संख्या-02/2017/121/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0</u>

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 लखनऊ:: दिनांक 13 अप्रैल, 2017

विषय:-भारत सरकार से प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई व जून, 2017 के लिये प्राप्त मिट्टी के तेल का मासिक कम्पनीवार आवंटन।

महोदय,

भारत सरकार, पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल, नई दिल्ली (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के पत्र संख्या-पी0-डी-11013/01/2017-IV दिनांक 17-03-2017 द्वारा प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून, 2017 के लिये 233640 के0एल0 मिट्टी के तेल का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत मिट्टी के तेल के आवंटन के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दो प्रकार के लाभांवित परिवारों की श्रेणी अर्थात पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त प्रति माह आवंटन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 04 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर आवंटन तैयार किया गया है। यह आधार एक दिशा-निर्देश के रूप में परिचायक स्वरूप होगा। भारत सरकार से आगामी त्रैमासों में मिट्टी के तेल के आवंटन में कमी व बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उसी प्रकार आवंटन को संशोधित किया जायेगा। तदनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों को संलग्न तालिका के अनुसार मासिक आवंटन किया गया है। (संलग्न प्रति)

3- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 04 लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा उसे जिलाधिकारी पात्र राशनकार्ड

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धारकों में अनुमन्य मात्रा में ही आवश्यकतानुसार अपने स्तर से वितरित करायें अथवा जनपद स्तर पर इसे सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे। शासन स्तर पर बड़ी मात्रा में मिट्टी के तेल को सुरक्षित रखा जाना उचित नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार एक त्रैमास में आवंटित मिट्टी के तेल का उठान उसी त्रैमास के अंतिम दिवस तक किया जाना आवश्यक होता है अन्यथा वह तेल स्वत: लैप्स हो जायेगा।

4- यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक त्रैमास में शासन स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु अधिकांश जनपदों से मिट्टी के तेल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अत: प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाय ताकि मिट्टी के तेल के दुरूपयोग/व्यवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेश है कि शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-सा/98, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार मिट्टी के तेल के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर के निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक-कम्पनीवार ब्रेक-अप।</u>

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-02/2017/121(1)/29-7-2017-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-02/2017/121/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

क्रमांक	जनपद का नाम	आई0 ओ0सी0	एच0पी0सी0	बी0पी0सी0	योग
1-	आगरा	852	228	372	1452
2-	अलीगढ़	828	192	312	1332
3-	इलाहाबाद	1416	288	576	2280
4-	अम्बेडकर नगर	816	0	0	816
5-	अमेठी	408	144	276	828
6-	अमरोहा	624	120	0	744
7-	औरैया	360	84	144	588
8-	आजमगढ़	1008	252	372	1632
9-	बागपत	192	84	132	408
10-	बहराइच	1224	324	0	1548
11-	बलिया	888	156	372	1416
12-	बलरामपुर	528	0	180	708
13-	बांदा	588	0	252	840
14-	बाराबंकी	1008	372	156	1536
15-	बरेली	1044	324	360	1728
16-	बस्ती	660	0	288	948
17-	बिजनौर	900	168	216	1284
18-	बदांयू	720	156	216	1092
19-	बुलन्दशहर	828	264	312	1404
20-	चन्दौली	456	84	168	708
21-	चित्रकूट	312	0	120	432
22-	देवरिया	708	180	336	1224
23-	एटा	636	0	0	636
24-	इटांवा	348	120	200	668
25-	फैजाबाद	672	72	216	960
26-	फर्रूखाबाद	264	0	456	720
27-	फतेहपुर	588	120	300	1008
28-	फिरोजाबाद	648	216	0	864
29-	गौतमबुद्धनगर	192	0	168	360

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30-	गाजियाबाद	504	96	264	864
31-	गाजीपुर	828	168	324	1320
32-	गोण्डा	828	144	300	1272
33-	गोरखपुर	1116	228	456	1800
34-	हमीरपुर	300	0	228	528
35-	हापुड़	312	132	0	444
36-	हरदोई	1140	228	492	1860
37-	हाथरस	360	60	168	588
38-	जालौन	396	84	192	672
39-	जौनपुर	1092	240	408	1740
40-	झांसी	732	132	0	864
41-	कन्नौज	516	156	0	672
42-	कानपुर देहात	612	132	0	744
43-	कानपुर नगर	1104	204	408	1716
44-	कासगंज	348	168	0	516
45-	कौशाम्बी	480	0	180	660
46-	लखीमपुर खीरी	1056	324	432	1812
47-	कुशीनगर	1104	264	432	1800
48-	ललितपुर	480	72	0	552
49-	लखनऊ	720	228	600	1548
50-	महोबा	0	84	372	456
51-	महराजगंज	1044	0	0	1044
52-	मैनपुरी	576	0	192	768
53-	मथुरा	516	312	228	1056
54-	मऊ	552	96	216	864
55-	मेरठ	552	312	228	1092
56-	मिरजापुर	588	108	276	972
57-	मुरादाबाद	792	144	168	1104
58-	मुजफ्फरनगर	744	204	108	1056
59-	पीलीभीत	564	72	156	792
60-	प्रतापगढ़	660	0	528	1188
61-	रायबरेली	792	156	360	1308

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

62-	रामपुर	480	180	252	912
63-	सहारनपुर	756	156	336	1248
64-	सम्भल	516	84	204	804
65-	संतकबीरनगर	744	0	0	744
66-	संतरविदास नगर (भदोही)	372	0	300	672
67-	शाहजहांपुर	588	192	324	1104
68-	शामली	276	96	96	468
69-	श्रावस्ती	312	0	168	480
70-	सिद्धार्थनगर	684	0	348	1032
71-	सीतापुर	1080	300	504	1884
72-	सोनभद्र	600	0	192	792
73-	सुल्तानपुर	588	168	228	984
74-	उन्नाव	888	132	384	1404
75-	वाराणसी	852	180	312	1344
	योग	49860	9984	17864	77708

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>मिट्टी के तेल के मासिक वितरण का उपयोगिता प्रारूप पत्रक</u>

क्र0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की संख्या	कुल मिट्टी के तेल के वितरण की मात्रा	अन्त्योदय राशन कार्डों की संख्या	कुल मिट्टी के तेल के वितरण की मात्रा	कुल पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की कुल मात्रा	जनपद स्तर पर प्रति माह अवशेष मिट्टी के तेल की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।